

9

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संख्या-2/एल-47/2026- /स्वा०, पटना, दिनांक / /2026

डा० मनोहर लाल, सेवानिवृत्त सहायक प्राध्यापक, पैथोलॉजी विभाग, नालन्दा मेडिकल कॉलेज, पटना द्वारा विभागीय ज्ञापांक-1005(17) दिनांक-09.12.2021 एवं ज्ञापांक-377(17) दिनांक-30.06.2022 सह पठित शुद्धि पत्र संख्या-1398(17) दिनांक-31.12.2025 द्वारा प्रदत्त अनुमति के क्रम में विदेश यात्रा (शिकागो/ यू०एस०ए०) हेतु दिनांक-06.12.2021 से 26.12.2021 तक कुल-21 (इक्कीस) दिन उपभोगित अवकाश अवधि को वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1584(25) दिनांक-18.11.2021 से प्राप्त अवकाश आदेयता एवं बिहार सेवा संहिता के नियम-230 एवं 248 के आलोक में उपार्जित अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह० / -

(विनोद कुमार पाठक)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-2/एल-47/2026- 1616(3) पटना, दिनांक 16/ 7 /2026

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं हक०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: प्राचार्य/अधीक्षक, नालन्दा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, पटना/कोषागार पदाधिकारी, पटना/ डा० मनोहर लाल, सहायक प्राध्यापक, पैथोलॉजी विभाग, नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय, पटना पत्राचार का पता-फ्लैट नं०-204, वृन्दावन अपार्टमेंट, फेज-2, मलाहीपकड़ी, पो०-कंकड़बाग, थाना-पत्रकार नगर, जिला-पटना, पिनकोड-800020 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Waman 14/7/26
सरकार के उप सचिव।

६